अति महत्वपूर्ण

संख्याः 337/ई–1/तेरह–2022–18/17 टी.सी.

प्रेषक,

निधि गुप्ता वत्स,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 03 फरवरी, 2022**

विषयः–विषाक्त मदिरा के सेवन से बीमार व्यक्तियों के आपातकालीन इलाज हेतु स्पष्ट प्रोटोकॉल/एस.ओ.पी. के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 230/सेक–2–पांच–2022, दिनॉक 02–02–2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषाक्त मदिरा के सेवन से बीमार व्यक्तियों के आपातकालीन इलाज हेतु स्पष्ट प्रोटोकॉल/एस.ओ.पी. निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चिकित्सा अनुभाग–2 के उक्त शासनादेश की प्रति समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं जिला आबकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए मण्डल के अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सहयोग से समस्त उप आबकारी आयुक्त एक प्रशिक्षण आहूत कर मण्डल, जिला एवं तहसील स्तर तक जितने भी अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं यथा समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही तथा आबकारी सिपाही आदि को उक्त प्रोटोकॉल/एस.ओ.पी. के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(निधि गुप्ता वत्स)
विशेष सचिव